सुशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरू

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कै.स.ए.

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.**

उनवान

कृष्णकुमार ..... बनाम रामस्थान सरकार

दावा बाबत नाम दुरस्ती U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :– 132/2022

निर्णय दिनांक :– 15-06-2022

वादी की ओर से ....स्वयं.....की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.06.2022 को **श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – दावा स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत कडवासरी की जमाबंदी में खाता संख्या 159 खसरा 286 में दर्ज श्रीमती पुत्री स्व. श्री कृष्णकुमार पुत्र नवयुवक के स्थान पर कृष्णकुमार पुत्र नवयुवक किस्म जाति की खेतीबाड़ी की जाती है, वहाँ पर पुत्र नवयुवक राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। वादी व प्रतिवादी में वाद आपसी प्रकार दर्ज होने से तथा समझौता होने की स्थिति में दर्ज नामंजूर मान्य खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.06.22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:04:28 IST
Reason: SelfAttested

नकल नं० 1376
20/08/2022